न्यायालय अति0जिला कलेक्टर,टोंक

(कैलाश चन्द्र शर्मा,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 01/2019
प्रविष्टि दिनांक 04.01.2019

1–घासीलाल पुत्र मण्डया जाति माली निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2–जमना बेवा मण्डया जाति माली निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
3–रूकमा पुत्री देवीलाल उर्फ देव्या जाति माली निवासी देवली जिला टोंक राज0

–प्रार्थीगण

बनाम

1–रवि वर्मा उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक राज0
2–कमला पुत्र दुर्गा लाल माली निवासी दूनी तहसील देवली जिला टोंक राज0
3–गोकली पत्नि भवंरलाल माली निवासी दूनी तहसील देवली जिला टोंक राज0
4–भूरा पुत्र छोटू माली निवासी दूनी तहसील देवली जिला टोंक राज0
5–रामनाथ पुत्र छोटू माली निवासी दूनी तहसील देवली जिला टोंक राज0
6–हरनाथ पुत्र छोटू माली निवासी दूनी तहसील देवली जिला टोंक राज0
7–रामदेवा पुत्र छोटू माली निवासी दूनी तहसील देवली जिला टोंक राज0
8–नंदकिशोर पुत्र गोपाल माली निवासी दूनी तहसील देवली जिला टोंक राज0
9–गणेश पुत्र गोपाल माली निवासी दूनी तहसील देवली जिला टोंक राज0
10–कर्मा पुत्री गोपाल माली निवासी दूनी तहसील देवली जिला टोंक राज0
11–छोटी पुत्री गोपाल नाबालिक जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता रसाली पत्नि गोपाल माली निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
12–रसाली पत्नि गोपाल माली निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
13–राजस्थान सरकार

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत मुन्तिकील किये जाने वाद संख्या 206/2015 दावा उदघोषणा व स्थायी निषेघाज्ञा उनवान कमला बनाम घासी आदि न्यायालय एसडीओ देवली

उपस्थिति : (1) श्री मानसिंह गुर्जर, अभिभाषक प्रार्थीगण संख्या 1 व 2
(2) श्री बाबूलाल मीणा, अभिभाषक अप्रार्थी सं0 9

निर्णय

दिनांक 04.02.2019

संक्षेप में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली के यहां कमला बनाम घासी वगै0 बाबत उदघोषणा, व स्थाई निषेघाज्ञा मुकदमा नम्बर 206/2015 विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में एक–एक सप्ताह से भी कम तारीख पेशी दी जाकर प्रकरण का निस्तारण करना चाहते है जबकि न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी टोंक द्वारा भी प्रकरण में पक्षकारान को पूर्ण सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिया जाकर प्रकरण को निस्तारित करने हेतु आदेशित किया गया है। इस कारण उक्त प्रकरण को अन्य समक्ष न्यायालय मे स्थानान्तरण किया जावे। न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण मे दिनांक 20.12.2018 को पारित निर्णय अनुसार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली मे विचाराधीन वाद संख्या 206/2015 उनवान कमला बनाम घासी वगै0 में प्रार्थी को दस्तावेजात पेश करने की अनुमति दी जाकर प्रकरण का निस्तारण किया गया। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.12.2018 के उपरान्त उपखण्ड अधिकारी देवली ने दिनांक 3.1.2019 को प्रार्थना पत्र बाबत किये जाने

अतिरिक्त जिला कलक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

पुनरावलोकन पेश किया गया। प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया कि उक्त प्रकरण में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा प्रकरण संख्या 206/2015 उनवान कमला बनाम घासी वगै0 में दिनांक 22.12.2017 को निर्णय पारित करते हुऐ अभिलेखीय साक्ष्य पेश करने बाबत् प्रार्थना पत्र खारिज किया जा चुका है। जिसके विरूद्ध पेश की निगरानी न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 10.4.2018 द्वारा खारिज की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में विधिवत निर्णय पारित करने में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। अतः प्रकरण का पुनरावलोकन कर विधिसम्मत निर्णय पुनः जारी करने के आदेश फरमावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिपक्षीगण की गई। बहस पेरोकार सरकार एंव अभिभाषकगण सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने दोराने बहस निवेदन किया कि न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण मे दिनांक 20.12.2018 को पारित निर्णय अनुसार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली मे विचाराधीन वाद संख्या 206/2015 उनवान कमला बनाम घासी वगै0 में प्रार्थी को दस्तावेजात पेश करने की अनुमति दी जाकर प्रकरण का निस्तारण किया गया है। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.12.2018 के पुनरालोकन हेतु उपखण्ड अधिकारी देवली ने दिनांक 3.1.2019 को प्रार्थना पत्र प्रेषित किया है जिसके अनुसार प्रकरण संख्या 206/2015 उनवान कमला बनाम घासी वगै0 में दिनांक 22.12.2017 को उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा निर्णय पारित करते हुऐ अभिलेखीय साक्ष्य पेश करने बाबत् प्रार्थना पत्र खारिज करने पर निर्णय के विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा निगरानी न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर मे प्रस्तुत करने पर उनके निर्णय दिनांक 10.4.2018 से निगरानी खारिज की गई है। अतः प्रकरण का पुनरावलोकन कर विधिसम्मत निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित है।

प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने दोराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली के यहां कमला बनाम घासी वगै0 बाबत उदघोषणा, व स्थाई निषेघाज्ञा मुकदमा नम्बर 206/2015 विचाराधीन है। न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 20.12.2018 को निर्णय पारित किया जा चुका है। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी टोंक द्वारा भी प्रकरण में पक्षकारान को पूर्ण सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिया जाकर प्रकरण को निस्तारित करने हेतु आदेशित किया गया है। प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण सुनवाई व साक्ष्य दस्तावेजात प्रस्तुत करने का अवसर नही दिया जा रहा है। इस कारण उक्त प्रकरण को अन्य समक्ष न्यायालय मे स्थानान्तरण किया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 9 ने दोराने बहस कथन किया कि वाद को स्थानान्तरण करने का कोई ठोस कारण नही है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली मे इस वाद के अलावा भी अन्य वाद विचाराधीन है। अभिभाषक प्रार्थीगण का यह तर्क सही नही है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण सुनवाई व साक्ष्य दस्तावेजात प्रस्तुत करने का अवसर नही दिया गया है, उक्त प्रकरण में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा दिनांक 22.12.2017 को निर्णय पारित करते हुऐ अभिलेखीय साक्ष्य पेश करने बाबत् प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के उपरान्त प्रार्थीगण द्वारा निगरानी न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर मे प्रस्तुत करने पर उनके निर्णय दिनांक 10.4.2018 से खारिज की गई है। न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.12.2018 विधिसम्मत नही होने के कारण खारिज किया जाना न्यायोचित है। तथा इस वाद को अन्य न्यायालय मे स्थानान्तरण किया जाना उचित नही है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा दिनांक 3.1.2019 को प्रेषित पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र का अवलोकना किया गया। उक्त वाद वर्ष 2013 से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली मे विचाराधीन है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा दिनांक 22.12.2017 को निर्णय पारित करते हुऐ अभिलेखीय साक्ष्य पेश करने बाबत् प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर प्रार्थीगण द्वारा निगरानी न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर मे प्रस्तुत करने पर उनके निर्णय दिनांक 10.4.2018 से खारिज की गई है। अभिभाषक प्रार्थीगण का तर्क है कि प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण सुनवाई व साक्ष्य दस्तावेजात प्रस्तुत करने का अवसर नही दिया जा रहा है, जबकि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना के साथ संलग्न न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली की आदेशिका की छायाप्रतियां व उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा प्रेषित पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र के अवलोकन से जाहिर है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा प्रार्थीगण को पूर्ण सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। अतः न्यायहित मे न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.12.2018 को अपास्त किया जाता है तथा प्रार्थीगण घासी लाल आदि द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत स्थानान्तरण किये जाने वाद संख्या 206/2015 दावा उद्घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा उनवानी कमला आदि बनाम घासी आदि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 04.02.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अतिरिक्त कलेक्टर, टोंक
टोंक